

31-10-25

आज ग्रह पत्रावली तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वकील ग्राम मजाहदपुर की आराजीयाह में प्रार्थी का नाम रमल पुत्र लोहरे एवं रमेश पुत्र लोहरे सहवन गलती से दर्ज हो गया है। अतः उक्त को शुद्ध किये जाने का बत निवेदन किया है।

उम्मे बहस पर मन्त्र किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत फस्तावेजी रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट तहसीलदार, भुसावर का भली भाँति अवलोकण किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थक पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थक पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या 178, 122, 176 में प्रार्थी का नाम रमल पुत्र लोहरे एवं खाता संख्या 38, 39, 44, 81, 154, 173, 177, 217 में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र लोहरे को फुरुस्त कर सही नाम रमेशचन्द पुत्र लोहरे राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाया दाखिल पत्र हो।

५

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०